

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय वर्ष 2010-11

(01-04-2010 से 31-03-2011 तक)

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का अपना विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त कृषि व्यवसाय की उन्नति के लिए पशुपालन अपना एक विशेष स्थान रखता है। खेतों की जुताई के लिए बैल व खाद भी पशुओं से ही उपलब्ध होती है। प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत परिवार किसी न किसी प्रकार से पशु या कुक्कुट पालन का कार्य करते हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से पशुओं से प्राप्त आय पर निर्भर हैं।

पशुओं से दूध, उन, मांस व अण्डे प्राप्त होते हैं जो मनुष्य के लिए प्रोटीन तथा गर्म कपड़े का स्रोत है। इसके अतिरिक्त सींग, खाल, हड्डी तथा बाल आदि पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति भी पशुओं से ही होती है। प्रदेश की जलवायु सर्द है जोकि भेड़ पालन के लिए उपयुक्त है।

पशु संख्या

गत तीन पशुगणनाओं के अनुसार मुख्य-मुख्य पशुओं की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि पशुपालन प्रदेश में अपना महत्व बनाये हुए है।

पशु संख्या लाख में

क्रम संख्या	पशु जाति	पशु गणना -1997	पशु गणना-2003	पशु गणना -2007*
1	गोजातीय	20.02	21.97	22.69
2	महिष जातीय	6.52	7.73	7.62
3	भेड़ें	9.09	9.06	9.01
4	बकरियां	9.47	11.16	12.41
5	अन्य	0.61	0.54	0.44
	योग	45.71	50.46	52.17
	कुत्ते	1.70	2.08	2.12
	कुक्कुट	3.85	7.64	8.07

*अनंतिम आंकड़े

विभाग के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने तथा विभागीय क्रिया-कलापों के पशुपालकों तक पहुंचाने हेतु कार्य योजना तैयार की जाती है। इस कार्य योजना को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि प्रदेश के पशुपालक विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं से

वंचित न रहें। अतः विभाग में कार्य निष्पादन के लिए निम्न प्रकार से पद सृजित किए गए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान भरे हुए व रिक्त पदों का व्यौरा निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा है:-
संख्या

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1	निदेशक	1	1	—	
2	संयुक्त निदेशक	3	3	—	
3	उप निदेशक सां०	1	—	1	
4	उप-निदेशक पशु स्वास्थ्य / प्रजनन तथा समकक्ष पद	15	14	1	
5	शस्यविज्ञ	1	—	1	
6	उप-निदेशक दुग्ध	1	1	—	
7	सहायक निदेशक स्तर के पद	46	45	1	
8	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	50	48	2	
9	पशु चिकित्सा अधिकारी	369	309	60	
10	संख्यिकीय अधिकारी	1	1	—	
11	अधीक्षक ग्रेड-।	7	6	1	
12	सहायक नियन्त्रक वित्त एवं लेखा	1	1	—	
13	निजी सचिव	1	1	—	
14	कृषि विकास अधिकारी	2	—	2	
15	संख्यिकीय विद	1	—	1	1 पद स्थगित
16	अधीक्षक ग्रेड-।।	32	32	—	
17	अनुभाग अधिकारी एस०ए०एस०	2	1	1	
18	निजी सहायक	1	—	1	
19	विधि अधिकारी	1	1	—	
20	अतिरिक्त सहायक अभियन्ता	1	1	—	
21	तकनीकी सहायक	4	2	2	2 पद स्थगित
22	वरिष्ठ सहायक	81	75	6	
23	वरिष्ठ आशुलिपिक	4	3	1	
24	सां० सहायक / सां० अन्वेषक / सां० निरीक्षक	10	5	5	3 पद स्थगित
25	दुग्ध निरीक्षक	2	—	2	
26	मु० वैटी फार्मासिस्ट	43	36	7	
27	पशुपालन सहायक	259	254	5	
28	वैटी फार्मासिस्ट	2280	2030	250	
29	कनिष्ठ आशुलिपिक	4	4	—	
30	आशु टंकक	7	1	6	
31	प्लॉट आपरेटर व० वेतनमान	1	1	—	

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
32	मकैनिक व0 वेतनमान	1	1	—	
33	सहकारी निरीक्षक	1	—	1	
34	कृषि प्रसार अधिकारी	10	1	9	
35	इलैक्ट्रीशियन	7	6	1	
36	मिस्त्री	1	1	—	
37	आपरेटर एवं मकैनिक क0 वेतनमान	7	6	1	
38	चालक	54	49	5	
39	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	107	69	38	
40	संगणक	6	2	4	2 पद स्थगित
41	प्रगणक	24	17	7	6 पद स्थगित
42	रेडियोग्राफर	1	—	1	
43	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	—	1	
44	गैसटेटरन आपरेटर	1	1	—	
45	दफतरी	1	1	—	
46	चपडासी	69	57	12	
47	पशु परिचारक	2851	2321	530	
	योग	6374	5408	966	

योजना कार्यान्वित करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी होती है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि कुछ कार्य जो रूपरेखा में शामिल कर लिए जाते हैं तथा कुछ कार्य परोक्ष रूप से किए जाते हैं। जो कार्य परोक्ष होते हैं उनकी रूपरेखा पहले तैयार नहीं की जा सकती तथा इन्हें दृष्टिविगत भी नहीं किया जा सकता। जिन विषयों की रूपरेखा तैयार की जा सकती है वे विभाग के लक्ष्य होते हैं। परोक्ष रूप से किए जाने वाले कार्यों में रोग निदान, बीमार पशु उपचार, बीमारियों का प्रकोप आदि कार्य हैं जिनका लक्ष्य निर्धारित करना असम्भव है।

बर्ष 2010-11 लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का व्यौरा

क्रम संख्या	विषय	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियां
1	कृत्रिम गर्भाधान			
	गाय	संख्या	600000	574358
	भैंस	"	140000	139886
2	वधियाकरण	"	300000	333030
3	टीकाकरण			
	क. मुंह-खुर रोग निरोधक टीके	"	1500000	1444254
	ख .एच0एस0 / बी0क्यू0 टीके	"	1150000	1206672
	ग. पी0पी0आर0 टीके	"	500000	638191
	घ. एन्टोटॉक्सीमियां टीके	"	200000	189068
	ड. रानीखेत टीके टीके	"	178000	123669
	च. मैरक्स टीके	"	290000	293547
4	कृमिनाशक दवाई पिलाना	"	1500000	1719840
5	कीटनाशक स्नान करवाना	"	1500000	1940007
6	घास की जड़ों का वितरण	"	1200000	1320868
7	चारा पौधों का रोपण	"	45000	36122
8	चारा बीज वितरण	कि0ग्रा0	100000	161490
9	चारा बीज मिनीकिट्स का वितरण			
	अनुसूचित जाति	संख्या	8000	5350
	महिलाएं	"	7000	5515
10	50 प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को बीज वितरण	"	4000	5351
11	पशुपालकों का प्रशिक्षण	"	5000	4059
12	हिमिंत वीर्य तृण उत्पादन			
	गाय	"	800000	727860
	भैंस	"	250000	189401
13	तरल नत्रजन उत्पादन	लिटर	185000	119384
15	प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन	कि0ग्रा0	1500	680
16	दुग्ध उत्पादन	हजार टन	905	907
17	ऊन उत्पादन	टन	1670	1639
18	अण्डों का उत्पादन	मिलियन	1070	1021
19	बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के अंतर्गत चूजों का वितरण	संख्या	290000	285080

विभाग के विभिन्न कार्य कलापों को सुचारु रूप से चलाने के लिए निम्न प्रकार से धन का आबंटन/प्रावधान किया गया है:-

(रूपये लाख में)

क्रम संख्या	नाम योजना		बजट 2010-11	व्यय 1.4.10 से 31.03.11
1	निर्देशन व प्रशासन			
	योजना		11.50	11.46
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		781.78	916.41
		योग	793.28	927.87
2	पशु चिकित्सा			
	योजना		94.62	94.62
	योजना केन्द्रीय भाग		180.98	175.07
	गैर योजना		10285.85	11185.83
		योग	10561.45	11455.52
3	गाय एवं भैंस विकास			
	योजना		144.50	144.47
	योजना केन्द्रीय भाग		0.01	—
	गैर योजना		473.92	400.60
		योग	618.43	545.07
4	कुक्कुट विकास			
	योजना		6.88	6.85
	योजना केन्द्रीय भाग		8.51	8.51
	गैर योजना		179.24	199.51
		योग	194.63	214.87
5	भेड़ व ऊन विकास			
	योजना		21.00	20.90
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		228.82	236.76
		योग	249.82	257.66
6	अन्य पशु विकास कार्य			
	योजना		4.50	4.48
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		25.26	28.00
		योग	29.76	32.48
7	दाना व चारा विकास			
	योजना		6.50	6.50
	योजना केन्द्रीय भाग		258.76	258.75
	गैर योजना		24.16	25.75
		योग	289.42	291.00
8	शिक्षा व प्रशिक्षण			
	योजना		5.00	5.00

क्रम संख्या	नाम योजना		बजट 2010-11	व्यय 1.4.10 से 31.03.11
	योजना केन्द्रीय भाग		5.00	5.00
	गैर योजना		—	—
		योग	10.00	10.00
9	प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यिकी			
	योजना		40.00	40.00
	योजना केन्द्रीय भाग		40.00	40.00
	गैर योजना		23.93	22.42
		योग	103.93	102.42
10	जन-जाति उप-योजना			
	योजना		251.75	247.77
	योजना केन्द्रीय भाग		0.01	—
	गैर योजना		1061.63	1188.59
		योग	1313.39	1436.36
11	कुल योग (पशुपालन)			
	योजना		586.25	582.05
	योजना केन्द्रीय भाग		493.27	487.33
	गैर योजना		13084.59	14203.87
		योग	14164.11	15273.25
12	विशेष केन्द्रीय सहायता टी0एस0पी0			
	योजना		184.17	181.64
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		—	—
		योग	184.17	181.64
13	विशेष केन्द्रीय सहायता एस0सी0एस0पी0			
	योजना		35.00	35.00
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		—	—
		योग	35.00	35.00
14	हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड को अनुदान एस0सी0एस0पी0			
	योजना		50.00	50.00
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		—	—
		योग	50.00	50.00
15	दुग्ध विकास			
	योजना		—	—
	योजना केन्द्रीय भाग		94.60	94.60
	गैर योजना		1037.47	1033.29
		योग	1132.07	1127.89
16	पूँजीगत प्रावधान			
	योजना		667.20	661.10

क्रम संख्या	नाम योजना		बजट 2010-11	व्यय 1.4.10 से 31.03.11
	योजना केन्द्रीय भाग		338.62	338.62
	गैर योजना		—	—
		योग	1005.82	999.72
17	हि0प्र0कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान			
	योजना मांग संख्या-14		—	—
	योजना मांग संख्या-31ज0जातिय विकास		20.00	20.00
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		—	—
		योग	20.00	20.00
18	गृह			
	योजना		—	—
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		7.24	7.24
		योग	7.24	7.24
19	लोक निर्माण			
	योजना		.—	.—
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		0.01	0.01
		योग	0.01	0.01
20	राटीय कृषि विकास योजना			
	योजना		2058.73	2058.73
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		—	—
		योग	2058.73	2058.73
21	अनुसूचित जातिय उप योजना			
	योजना		266.00	259.89
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		—	—
		योग	266.00	259.89

पशु संस्थान

हिमाचल प्रदेश में सन् 1948 में केवल 9 पशु चिकित्सालय थे जो पशुपालन सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराते थे। इसके पश्चात् पशुपालन की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा नये-नये पशु संस्थान स्थापित किए गए जो पशुपालन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। 31.03.2011 को प्रदेश में निम्न संस्थान/परियोजनाएं कार्यरत थीं:-

क्रम संख्या	संस्थान का व्यौरा	प्रदेश में कुल संख्या
1	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	1
2	वैटनरी पॉलीक्लीनिक	7
3	उप मण्डलीय पशु चिकित्सालय	49
4	पशु चिकित्सालय	280
5	केन्द्रीय पशु औषधालय	30
6	पशु औषधालय	1764
7	पशु निरीक्षण चौकियां	6
8	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	3
9	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र (एक रैम सैटर सहित)	5
10	भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र	9
11	कुक्कुट हैचरियां	2
12	कुक्कुट प्रक्षेत्र/प्रसार केन्द्र	11
13	ऊन विश्लेषण प्रयोगशालाएं	3
14	प्रशिक्षण केन्द्र	2
15	रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं	2
16	स्पर्म स्टेशन	2
17	हिमकृत वीर्य कोष	7
18	रोग व्यापिकीविद् प्रयोगशाला	1
19	शयनिक प्रयोगशालाएं	4
20	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला	1
21	अंगोरा खरगोश प्रक्षेत्र	2
22	घोड़ा एवं याक प्रजनन प्रक्षेत्र	1
23	समुच्चय भंडार	11
	कुल योग (प्रदेश)	2203

कार्य प्रणाली

वर्तमान पंचवर्षीय योजना में पशुपालन विभाग के सफलता अभियान के अन्तर्गत कार्यो को निम्न प्रकार से बांटा गया है:-

1. पशु चिकित्सा सेवाएं
2. पशु विकास
3. भेड़ व ऊन विकास
4. दाना व चारा विकास
5. कुक्कुट विकास
6. दुग्ध विकास
7. घोड़ा प्रजनन
8. याक प्रजनन
9. अंगोरा खरगोश प्रजनन
10. पशु पालन प्रसार कार्यक्रम

1. पशु चिकित्सा सेवाएं

पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रदेश के सभी जिलों में पशु चिकित्सा संस्थानों का जाल सा बिछा दिया गया है। रूग्ण पशुओं का समय-समय पर उपचार किया जाता है। संक्रामक रोगों के फैलने की दशा में शीघ्र कार्यवाही करके सभी पशुओं को टीके लगाकर उनका बचाव किया जाता है। पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों एवं पालीक्लीनिकों आदि संस्थानों का 31.3.2011 तक जिलाबार व्यौरा निम्नलिखित है।

संख्या

क्रम संख्या	ज़िला का नाम	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	वैटरीनरी पालीक्लीनिक	उप मण्डलीय पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	केन्द्रीय पशु औषधालय	पशुऔषधालय	योग
1	बिलासपुर	—	—	2	17	3	98	120
2	चम्बा	—	1	5	30	1	163	200
3	हमीरपुर	—	—	4	14	1	119	138
4	कांगड़ा	—	1	8	48	8	337	402
5	किन्नौर	—	—	3	17	1	39	60
6	कुल्लू	—	1	4	13	1	89	108
7	लाहौल-स्पिति	—	—	3	11	—	43	57
8	मण्डी	—	1	7	31	3	267	309
9	शिमला	1	1	5	40	6	250	303
10	सिरमौर	—	1	3	23	4	126	157
11	सोलन	—	1	3	20	1	129	154
12	ऊना	—	—	2	16	1	104	123
योग		1	7	49	280	30	1764	2131

इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 में 187 पशु औषधालय मुख्यमंत्री आरोग्य पशुघन योजना के अंतर्गत खोले गए हैं। जिसका जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	ज़िला का नाम	पशु औषधालय
1	बिलासपुर	16
2	चम्बा	12
3	हमीरपुर	17
4	कांगड़ा	39
5	किन्नौर	6
6	कुल्लू	12
7	लाहौल-स्पिति	1
8	मण्डी	36
9	शिमला	18
10	सिरमौर	10
11	सोलन	10
12	रुना	10
योग		187

पशु चिकित्सा कार्य

पशु चिकित्सा सम्बन्धी कार्य का व्यौरा निम्न प्रकार से है:-

संख्या

क्रम संख्या	मद्द	वर्ष 2010-11 में प्रगति
क. संस्थानों पर कार्य		
1.	संक्रामक रोग	633
2.	असंक्रामक रोग	2601631
3.	वधियाकरण	102864
4.	कृमिनाशक दवाई पिलाना	61246
5.	कीटनाशक स्नान करवाना	141749
6.	सींगरहित	31381
7.	टीकाकरण	23305
ख. भ्रमण पर कार्य		
1.	संक्रामक रोग	6484
2.	असंक्रामक रोग	352932
3.	वधियाकरण	230172
4.	कृमिनाशक दवाई पिलाना	1653407
5.	कीटनाशक स्नान करवाना	1792699
6.	सींगरहित	23955
7.	टीकाकरण	3499303

संक्रामक रोगों की रोकथाम

संक्रामक रोगों के फैलने की सूचना प्राप्त होने पर पशुओं के उपचार हेतु शीघ्र ही पग उठाए जाते हैं। विभागीय कर्मचारी संक्रामक रोगों के फैलने के स्थानों पर जा कर रोगी पशुओं का उपचार करते हैं तथा घातक रोगों से बचाव हेतु सभी स्वस्थ पशुओं को रोगनिरोधक टीके आदि लगाते हैं। इस मद्द में वर्ष 2010-11 में 21 संस्थानों से संक्रामक रोग फैलने की सूचना प्राप्त हुई तथा सभी क्षेत्रों में जाकर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पशुओं का उपचार तथा टीकाकरण किया गया।

वैटरीनरी पालीक्लीनिक

प्रदेश में 7 वैटरीनरी पालीक्लीनिक स्थापित किये गये हैं। इन संस्थानों द्वारा पशु रोगों के निदान तथा उपचार सम्बन्धी वे सभी सुविधाएं पशु चिकित्सा विशेषज्ञों प्रदान की जाती हैं जो चिकित्सालय/औषधालय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इन संस्थानों द्वारा वर्ष 2010-11 में निम्न प्रगति की गई:-

संख्या

क्रम संख्या	मद्द	पालीक्लीनिक में उपचार	पशु चिकित्सा शिविरों में उपचार
1	गाईनी केस का उपचार	2972	2157
2	सर्जिकल केस का उपचार	4719	560
3	मैडिसिनल केस का उपचार	49825	12725
4	नमूने एकत्र करके परीक्षण किया	2650	253
5	पशु चिकित्सा शिविर लगाए	301	

2. पशु विकास

पहाड़ी प्रजाति की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नस्ल से क्रॉसब्रीडिंग करवा कर विकसित किया जा रहा है। अधिक दूध देने वाली देसी/पहाड़ी नस्ल के द्वारा वांछित 50 प्रतिशत तक उत्तम विदेशी जर्मप्लाज़्म का स्तर बनाए रखा जा रहा है। आधुनिक तकनीकी द्वारा हिमिकृत वीर्य के स्ट्रा गाय तथा भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्र में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाना अभी सम्भव नहीं है, वहां पर सुधरी नस्ल के जर्सी सांडों व मुराह नस्ल के भैंसा सांडों द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

कृत्रिम गर्भाधान

प्रदेश में क्रॉसब्रीडिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इस समय 2 उच्च स्तरीय स्पर्म स्टेशन, 7 वीर्य कोष तथा 5 तरल नत्रजन संयंत्र कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं में उत्तम नस्ल के सांडों के वीर्य से वीर्य तृणों का उत्पादन किया जाता है। इन तृणों का तरल नत्रजन में भण्डारण किया जाता है जिनसे बाद में कृत्रिम गर्भाधान सम्भव होता है। वर्ष 2010-11 में गाय के 727860 तथा भैंसों के 189401 तृण उत्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर उत्तम नस्ल के सांडों के वीर्य तृण बाहरी स्रोतों से भी प्राप्त किये जाते हैं। प्रदेश में वर्ष 2010-11 में 1965 पशु संस्थानों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध रही तथा भविष्य में इसे और अधिक संस्थानों में उपलब्ध करवाया जायेगा।

तरल नत्रजन का उत्पादन वीर्य तृणों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है ताकि कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तक तृण पहुंचाए जा सकें तथा संस्थानों में इनका भण्डारण किया जा सके। इसके लिए सभी 5 तरल नत्रजन प्लांटों ने वर्ष 2010-11 में 119384 लीटर तरल नत्रजन का उत्पादन किया।

विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में कुल 574358 गायों में कृत्रिम गर्भाधान किया जिसके फलस्वरूप 116094 नर व 118365 मादा संतति उत्पन्न हुई। इसी के साथ 139886 भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया जिससे 30044 नर व 31841 मादा संतति उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त दुर्गम क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर विभाग ने प्राकृतिक गर्भाधान की व्यवस्था की है। वर्ष 2010-11 के दौरान 6787 गायों में तथा 21600 भैंसों को प्राकृतिक गर्भाधान किया गया जिससे गाय के 1271 नर व 1325 मादा तथा भैंसों के 4127 नर व 4151 मादा संतति उत्पन्न हुई। वर्ष के दौरान 2315 गाय तथा 844 भैंसों का बांझपन उपचार किया गया।

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र

प्रदेश में 4 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पालमपुर, कमान्द, कोठीपुरा व बागथन)कार्य कर रहे थे जिनकी संख्या कमान्द प्रक्षेत्र बंद होने के पश्चात 3 रह गई है। इन प्रक्षेत्रों का मुख्य कार्य उन्नत नस्ल के बछड़े बछड़ियां पैदा करना है। बछड़ों का भलि भांति पालन-पोषण करके उन्हें वीर्य विधायन प्रयोगशालाओं में स्थानान्तरित कर दिया जाता है ताकि इनको प्रजनन हेतु प्रयोग में लाया जा सके तथा जिससे पहाड़ी प्रजाति की गायों की नस्ल सुधारी जा सके। इन प्रक्षेत्रों की वर्ष 2010-11 में उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	मदद	उपलब्धी
1	वर्ष के दौरान औसतन पशु पाले	280
2	संतति उत्पन्न	77
3	पशु विक्रय/वितरित	12
4	पशु नीलाम किए	30
5	दुग्ध उत्पादन (लीटर)	182719.520
6	दुग्ध वितरण (लीटर)	153647.120
7	दुग्ध बछड़ों-बछड़ियों को पिलाया (लीटर)	29031.400
8	टीकाकरण	707
9	वृमिनाशक दवाई पिलाई	955
10	कीटनाशक स्नान कराया	2963

3. भेड़ व ऊन विकास

प्रदेश में भेड़ों की कुल संख्या 9.01 लाख है जोकि कुल पशु संख्या में से गोजातीय पशुओं की संख्या के बाद तीसरे स्थान पर आती है। विभाग के 4 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र एवं एक रैम सैन्टर प्रदेश में कार्यरत हैं जिनका उद्देश्य उन्नत किस्म के मेंढे उत्पन्न करके भेड़ पालकों में वितरण करना है। इन मेंढों का वितरण भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों ताल जिला हमीरपुर, ज्योरी जिला शिमला, काकस्थल जिला किन्नौर, नगवाई जिला मण्डी तथा सरोल जिला चम्बा से किया जाता है। प्रदेश में 9 भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र भी खोले गए हैं जिनके द्वारा भेड़ों से ऊन उतारने का कार्य भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त पारगमन शिविरों द्वारा भेड़ों को अन्दर एवं बाह्य परजीवियों से बचाव हेतु दवाई पिलाई/कीटनाशक स्नान कराया जाता है।

भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों में पोषित भेड़ों तथा मेंढों से सम्बन्धित वर्ष 2010-11 के लिए विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	मदद	उपलब्धी
1	वर्ष के दौरान औसतन भेड़ें पाली	2048
2	संतति उत्पन्न	774
3	भेड़े विक्रय/वितरित	213
4	भेड़े नीलाम की	234
5	प्रजनन हेतु मेंढे वितरित किए	226
6	ऊन उत्पादन (किवंटल)	27.06
7	कृमिनाशक दवाई पिलाई	4232
8	कीटनाशक स्नान कराया	2596
9	टीकाकरण	4894

4. दाना व चारा विकास

पशुओं से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए पशु नस्ल सुधार के साथ-साथ चारे का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पशुपालकों को विभाग द्वारा उन्नत किस्म के चारा बीज, चारा घास की जड़ें व चारा पौधे वितरित किए जाते हैं। इस प्रकार कृषि योग्य भूमि में पौषटिक तत्वों से युक्त घास तथा चारा फसलों का विकास करने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त घासनियों तथा चरागाहों का भी सुधार किया जाता है। वर्ष 2010-11 में विभाग द्वारा प्रदेश भर में 1614.90 किवंटल चारा बीज, 1320868 चारा जड़ों तथा 36122 चारा पौधों का किसानों को वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय प्रक्षेत्रों में 6.80 किवंटल चारा बीज उत्पादन किया गया।

5. कुक्कुट विकास

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत कुक्कुट विकास कार्य भी किया जाता है। यह कार्य कुक्कुट प्रक्षेत्रों/केन्द्रों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में 2 हैचरियां, 5 कुक्कुट प्रक्षेत्र तथा 6 कुक्कुट प्रसार केन्द्र वर्ष 2010-11 में कार्यरत थे जिनके द्वारा की गई प्रगति निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	मदद	उपलब्धी
1	अण्डे देने वाली मुर्गियों की संख्या	2714
2	अण्डों का उत्पादन	444853
3	चूजे निकालने हेतु रखे गए अण्डे	416518
4	चूजों का उत्पादन	293547
5	खाने हेतु अण्डे बेचे	101161
6	कुक्कुट प्रजनन हेतु बेचे	334155
7	खाने हेतु कुक्कुट बेचे	3543
8	कुक्कुट प्रशिक्षण दिया	974
9	कुक्कुट फार्म खुलवाये	144
10	टीकाकरण	417216

प्रदेश में स्वरोजगार की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है इसलिये प्रदेश में एक दिन की आयु वाले 200 चूजे वितरण योजना चलाई जा रही है जोकि अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष के दौरान एक दिन की आयु वाले ब्रायलर चूजों की 350 इकाईयां वितरित की गईं। इसके अतिरिक्त पोल्ट्री बैकयार्ड स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में सभी वर्ग के ग्रामीण किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान 285080 चूजे किसानों को वितरित किए गए तथा 974 कुक्कुट पालकों को राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों में तथा 8460 कुक्कुट पालकों को बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया ताकि इस व्यवसाय को अपनाकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सकें।

6. दुग्ध विकास

पशुपालन विभाग दुग्ध प्रसंग हि0प्र0 को प्रतिवर्ष अनुदान राशि उपलब्ध करवाता है। प्रदेश में दुग्ध विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, दुग्ध एकत्रीकरण, विधायन एवं वितरण कार्य का कार्यान्वयन हिमाचल दुग्ध प्रसंग द्वारा सहकारी क्षेत्र में आनंद पद्धति पर किया जा रहा है। दुग्ध प्रसंग द्वारा दुग्ध उत्पादकों से दूध दुग्ध उत्पादक सहाकारी समितियों के माध्यम से खरीदा जा रहा है।

7. दूध गंगा योजना:

इस योजना के अन्तर्गत पशु पालकों/स्वयं सहायता समूहों को अच्छी नस्ल के दूधारू पशु पालने के लिए प्रोत्साहित करके अधिक दुग्ध उत्पादन द्वारा स्वरोजगार सृजित करना है। इस परियोजना के अन्तर्गत ऋण की राशि 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त हैं। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले लाभान्वितों को बैंक द्वारा ऋण की शेष 50 प्रतिशत ब्याज की राशि पर भी 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं सहायता समूह/पशु पालक द्वारा स्वयं अंशदान के रूप में देय है व शेष 90 प्रतिशत बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है आरम्भ में यह योजना जिला सिरमौर, मण्डी व सोलन में शुरू की गई थी। अब यह योजना पूरे प्रदेश में संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान नाबार्ड द्वारा 1901 ईकाइयों को ऋण स्वीकृत किए गए। कुल 3619.766 लाख रुपये का ऋण दिया जिसमें से 1809.884 रुपये का ऋण ब्याज मुक्त दिया गया।

8. घोड़ा प्रजनन

चामूर्ति (स्पिति) नस्ल के घोड़ों की प्रजाति के संरक्षण हेतु विभाग द्वारा लाहौल-स्पिति जिला में लरी नामक स्थान पर एक घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित है। इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2010-11 में 40 घोड़े/घोड़ियां पोषित की जा रही थीं।

9. याक प्रजनन

वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार की सहायता से घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र लरी जिला लाहौल-स्पिति में ही याक प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है। इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2010-11 के दौरान 29 मादा तथा 15 नर याक पाले जा रहे हैं।

पशु उत्पादों का अनुमानित उत्पादन

पालन विभाग की सभी स्कीमों व कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 में पशु समुदाय से प्राप्त होने वाले मुख्य उत्पादों का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार रहा:-

दूध	1077.542 मीट्रिक टन
ऊन	1642 मीट्रिक टन
अण्डे	1021 लाख
मांस	3610 टन

GOVT. OF HIMACHAL PRADESH



**ANIMAL HUSBANDRY
DEPARTMENT**

**INFORMATION
IN
RESPECT OF**

RIGHT TO INFORMATION ACT-2005

(IN PURSUANCE OF SECTION 4(1)(b) OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY
INFORMATION IN PURSUANCE OF SECTION 4(1)(b) OF THE RIGHT TO
INFORMATION ACT, 2005
INDEX OF CONTENTS**

S.No.	Sub-Clause of Section 4(1)(b),RTI	Description	Page No.
1.	(i)	Particulars of Organization, Functions and Duties of the Department.	18
2.	(ii)	Powers and Duties of the Officers and employees of the department.	18
3.	(iii)	Procedure followed in the decision- making process, including channels of supervision and accountability.	20
4.	(iv)	Norms set by the Department for the discharge of its functions.	20
5.	(v)	Acts, Rules, Regulations, instructions, Manuals and Records held by the Department or under its control or used by its employees for discharging its functions.	20-21
6.	(vi)	Statement of the categories of documents that are held by the Department or under its control.	21
7.	(vii)	Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by , the members of the public in relation to the formulation of Department's policy or implementation thereof.	22
8.	(viii)	Statement of Boards, Councils, Committees or other bodies consisting of two or more persons constituted as a part of the Department or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.	22
9.	(ix)	Directory of officers and employees of the department.	22
10.	(x)	Monthly remuneration received by each of department's officers and employees.	23
11.	(xi)	Budget, allocated to each of the Department's agencies, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made.	24-25
12.	(xii)	Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	25
13.	(xiii)	Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the Department.	26
14.	(xiv)	Details in respect of the information, available to or held by the Department reduced in an electronic form.	26
15.	(xv)	Particulars of facilities available to citizens for obtaining information.	26-38
16.	xvi)	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	39-44
17.	(xvii)	General information of the department.	44

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
INFORMATION
UNDER SUB-CLAUSE(II)
OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT,2005.**

i) Particulars of Organization, Functions and Duties of the Department.

(a) Particulars of the Organization:

The Organization chart of the department as per Annexure-A

(b)Particulars of Functions & Duties.

1. Animal Health and Veterinary Services.
2. Cattle and Buffaloes Breeding.
3. Sheep and Wool Development.
4. Poultry Development.
5. Angora Rabbit Breeding.
6. Horse Breeding.
7. Feed and Fodder Development.
8. Animal Husbandry Extension Programme.

ii) Powers and Duties of the Officers and employees of the department.

(a) Director of Animal Husbandry

1. Director Animal Husbandry being the Administrative and Professional head of the Animal Husbandry Department in the State, exercise all the Administrative and Financial Powers as enjoined upon the Heads of the Departments in the Himachal Pradesh Government.
2. He shall act as a Chief Technical Advisor to the State Government on all matters relating to the Animal Husbandry Department.
3. He shall control all the Animal Husbandry affairs in the State and shall issue special instructions considered necessary for administrative and professional reasons.
4. Any major policy matter relating to the professional activity shall be undertaken by him in consultation with two other Senior Officers of the Department who are Specialists in their disciplines.
5. He shall be responsible for preparation of the budget and appropriation proposals for the whole department for consideration and approval of the Govt.
6. Submissions of all the reports and returns to the Government (Monthly/Quarterly/Annual Progress reports).
7. He shall exercise all the powers delegated to him by the Government and shall be directly answerable to the Govt.

(b) Joint Director of Animal Husbandry

1. The Joint Director will assist the Director Animal Husbandry in the performance of his duties and responsibilities as stated above.
2. He shall be required to inspect the institutions under his control and shall exercise all the administrative and financial powers of the controlling officer within his jurisdictions.

(c) Deputy Director of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for all the Animal Husbandry Activities and for the implementation of various schemes within his jurisdiction.
2. He shall be responsible for executing and monitoring the progress of various schemes as to their financial and physical achievements.
3. He shall furnish all the reports and information to the Director, Animal Husbandry and any other controlling officer as required by them from time to time.
4. He shall supervise and issue necessary instructions to its subordinate for the proper implementation of the schemes of the department from time to time.

(d) Assistant Director of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for all the Animal Husbandry Activities and implementation of various schemes within his jurisdiction.

(e) Senior Veterinary Officer of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for the execution of various schemes / programmes of the department within his sub-division.
2. He shall supervise the working of Veterinary Hospitals and Veterinary Dispensaries in his Sub-Division.
3. He shall act as a representative of the department in dealing with other departments at the Sub-Division Level.

(f) Veterinary Officer of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for the execution of various schemes/ programmes of the department within his jurisdiction.
2. He shall be responsible for providing Animal Health/ Breeding Services in his institution.
3. He shall be responsible for the supervision and monitoring of Animal Husbandry Activities in the institutions under his control/ jurisdiction.

(g) Animal Husbandry Assistant/ Veterinary Pharmacist

1. He shall be responsible for providing Animal Health/ Breeding Services in his institution .
2. He shall be responsible for all stock and store in veterinary dispensaries
3. He shall compile all returns and other information desired by the department and submit in time to the higher ups.
4. He shall maintain all relevant records of dispensary.

ii) Procedure followed in the decision- making process, including channels of supervision and accountability.

There is a set procedure for decision-making process, including channels of supervision and accountability in the Department of Animal Husbandry as has already been depicted in the organizational chart **at Annexure-A**

iv) Norms set by the Department for the discharge of its functions.

As per the present norms set up by the Govt. of Himachal Pradesh for discharging the functions and activities of the Department of Animal Husbandry, there is atleast one Vety. Institution in every two panchyats of the State.

Presently a total of 2133 institutions are functioning in the State, whose detail is given district-wise and institutions-wise in tabulated form as **Annexure-B.** And A.I. Facility on **Annexure-C.**

v) Acts, Rules, Regulations, instructions, Manuals and Records held by the Department or under its control or used by its employees for discharging its functions.

1. The Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act, 1979.
2. The Himachal Pradesh Livestock Improvement Act 1968 and Rules 1969.
3. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and Supplementary Rules made under this Act.
4. The Himachal Pradesh Livestock and Bird Diseases Act, 1968.
5. CCS Leave Rules, 1972.
6. CCS (CCA) Rules,1965
7. CCS Conduct Rules, 1964.
8. HPFR Rules Vol-I & II.
9. Medical Attendance Rules,(1940)
10. HB Advance Rules
11. Leave Travel Concession Rules.
12. Budget Manual.
13. Pension Rules.
14. GPF Rules.
15. General Finance Rules
16. Vehicle Rules.
17. Subsidiary Treasury Rules.
18. T.A. Rules (HP)
19. Departmental Manual of Animal Husbandry Department.
20. Citizens Charter of Animal Husbandry Department,(H.P.)
21. Office Manual of H.P.Govt.
22. FR/SR Rules.

VI Statement of the categories of documents that are held by the Department or under its control.

(a) Records/Registers maintained at the Veterinary Institutions of the department.

1. Out -door Patient Register.
2. Artificial Insemination Register.
3. Stock Book of Medicines/Ledger Articles.
4. Progeny Register.
5. Income Register.
6. Tour Register.
7. Vaccination Register.
8. Monthly/Quarterly/Annual progress reports files/register.
9. Livestock Register.
10. Feed and Fodder Register.
11. Breeding, Progeny and Pedigree Register of the Farms.
12. Milk, Egg, Wool, Meat Production Register.
13. Postmortem Register/File.
14. Livestock Auction/ Sale Register.

(b) Records maintained in the Establishment Section.

1. Diary/Despatch Register.
2. Attendance Register.
3. Casual Leave Register.
4. Service Books of the Staff.
5. Personal /Transfer Files of the Staff.
6. Establishment Returns (quarterly), Files.
7. Inspection Note Files.

(c) Records maintained in the Accounts Section

1. Contingent Bill Register.
2. Treasury Bill Register.
3. Cash Books.
4. Receipt Books.
5. Monthly Income and Expenditure Registers & Files.
6. Advances Register.
7. Budget Files.
8. Pay Bill Register.
9. Payment Register.
10. CAG Reports Register.
11. Audit Reports.

(d) Miscellaneous Register

1. Log Books of Vehicles.
2. Assembly Business Files.
3. Parliamentary Question Files.
4. Vidhan Sabha Committee Reports.
5. Annual Administrative Reports.

6. Annual Budget Books
7. Administrative Approval and Expenditure Sanction Files of the Major and Minor Works.
8. Monthly /Quarterly/Annual progress report of the department.
9. Pool Medicine Register.

(e) Records at the Sperm Station/LN2 Plants.

1. Semen Straw Production Register/ Distribution Register.
2. Bull Register.
3. LN2 Production Register.
4. LN2 Distribution Register.
5. A.I.Equipment/ Distribution Register.
6. Ledger Register/Stock Book.

vii) Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of Department's policy or implementation thereof.

Animal Husbandry Department has prepared a Citizen's Charter for the information of the General Public, which facilitates in the implementation of programmes/ policies/ scheme of the Department.

At the grass-root level the departmental representatives i.e. Veterinary Pharmacist/ Animal Husbandry Assistant/Veterinary Officer/Sr.Vety.Officer are regularly attending the Quarterly Gram-Sabha Meetings, for the redressal of the grievances of the General Public, as well as for taking suggestion of the Public. Besides this, the departmental officers are regularly attending the 20 Point Programmes Meetings/ Grievances Meetings, Developmental Activities Meetings/ District level Meetings/ Zila Parishad level. At the State level, Planning Meeting held under the Chairmanship of Chief Minister, Suggestions/ Guidelines given by all the MLA's are incorporated in the Programmes and Policies of the Department for its implementations.

viii) Statement of Boards, Councils, Committees or other bodies consisting of two or more persons constituted as a part of the Department or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.

The department of Animal Husbandry has constituted the following boards /committees etc.

1. H.P.Livestock Development Board.
2. State Animal Welfare Board, Himachal Pradesh.
3. State Level Purchase Committee.
4. District Level Purchase Committee.
5. Technical Committees.
6. Livestock Culling Committee.

The proceedings of these boards/committees are accessible to the public.

ix) **Directory of officers and employees of the department.**

x) **Monthly remuneration received by each of department's officers and employees.**

Class-I

S.No.	Name of post	Pay Scale.
1.	Director,Animal Husbandry,H.P.	37400-67000+10000 GP
2.	Joint Director,Animal Husbandry,H.P.	37400-67000+8700 GP
3.	Dy.Director/Asstt.Director/Sr.Vety.Officer Veterinary Officer. Note:- Vety. Officer being appointed in the Department of Animal Husbandry on contract basis are given Rs.15600+5400GP=21000/-P.M. (consolidated salary)	37400-67000+8600 GP 15600-39100+5400 GP
4.	Agrostologist	10300-34800 +5000 GP
5.	Dy.Director(Dairy)	10300-34800 +5000 GP
6.	Dy.Director(Stat)	10300-34800 +5400 GP
7.	Assistant Controller (F&A)	10300-34800 +5000 GP
8.	Private Secretary	10300-34800 +5000 GP
9.	Supdt.Grade-I.	10300-34800 +5000 GP
10.	Agriculture Dev. Officer	10300-34800 +5000 GP
<u>Class-II</u>		
1.	Section Officer(SAS)	10300-34800 +4400 GP
2.	Statistical Officer	10300-34800 +4200 GP
3.	Asstt.Agrostologist.	10300-34800 +5000 GP
<u>Class-III</u>		
1.	Supdt.Grade-II	10300-34800 +4200 GP
2.	Persional Assistant.	10300-34800 +4200 GP
3.	Technical Assistant(Stat)	10300-34800 +4200 GP
4.	Law officer	10300-34800 +4200 GP
5.	Sr.Scale Stenographers	10300-34800 +3800 GP
6.	Sr.Assistant.	10300-34800 +4200 GP
7.	Jr.Engineer	10300-34800 +4200 GP
8.	Stat.Assistant	10300-34800 +4200 GP
9.	Dairy Inspector	10300-34800 +4200 GP
10.	Chief Vety. Pharmacist.	10300-34800 +3800 GP
11.	Animal Husbandry Assistant	10300-34800 +3600 GP
12.	Vety. Pharmacist	5910-20200+2800 GP
13.	Jr.Scale Stenographer	5910-20200+2800 GP
14.	Carpenter	5910-20200+2400 GP
15.	Mechanic (Sr.Scale)	5910-20200+2400 GP
16.	Electrician	5910-20200+2400 GP
17.	Steno-typist.	5910-20200+2000 GP
18.	Drivers	5910-20200+2000 GP
19.	Enumerator	5910-20200+1900 GP
20.	Clerks	5910-20200+1900 GP
21.	Computer	5910-20200+1900 GP
22.	Mechanic	5910-20200+1900 GP
23.	Operator-cum-Mechanic.	5910-20200+1900 GP
24.	Cooperative Inspector	10300-34800 +3600 GP
25.	Agriculture Extension Officer	5910-20200+2800 GP

Class-IV		
1.	Gestetnor Operator	4900-10680+1650 GP
2.	Peon/BCWC/Beldar/Sweeper/other class-IV posts.	4900-10680+1300 GP

xi) **Budget, allocated to each of the Department's agencies, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made. The budget availability is depicted in the following table for the year 2010-11(including CSS)**

Demand No-14. Animal Husbandry (Budget in thousands)

Description	Plan	Non-Plan	Total
Direction & Administration.	1150	78178	79328
Veterinary Services & Animal Health.	27560	1028585	1056145
Cattle & Buffalo Development.	14451	47392	61843
Poultry Development.	1539	17924	19463
Sheep & Wool Development.	2100	22882	24982
Other Livestock Development.	450	2526	2976
Fodder & Feed Development.	26526	2416	28942
Extension & Training	1000	-	1000
Administrative Investigation & Statistics.	8000	2393	10393
Rashtriya Krishi Vikash Yojna	161776	-	161776
Dairy Development.	9460	103747	113207
Capital Outlay on AH.	80612	-	80612
Public Works	-	1	1
Housing	-	724	724
Grand Total Demand No. 14	334624	1306768	1641392

Under Demand No-31 (TSP)

Tribal Area Sub Plan	25176	106163	131339
Rashtriya Krishi Vikash Yojna	12620	-	12620
Agriculture Research & Education.	2000	-	2000
4403 Capital Outlay	11070	-	11070
S.C.A.	18417	-	18417
Grand Total Demand No. 31	69283	106163	175446

Under Demand No. 32- Schedule Caste Sub-Plan

Description	Plan	Non-Plan	Total
Veterinary Services & Animal Health	20300	-	20300
Cattle & Buffalo Development.	300	-	300
Estt. Of Semen Lab	1500	-	1500
Central & Distt. Poultry Farms AOOS-	3500	-	3500
Central & Distt. Poultry Farms	1000	-	1000
Sheep Breeding Farm Centres	1800	-	1800

Feed & Fodder Development	1700	-	1700
Rashtriya Krishi Vikash Yojna	31477	-	31477
Total	61577		61577
2404 Dairy Development	5000	-	5000
4403 Capital Outlay	5600	-	5600
Grand Total Demand No 32	72177	-	72177

Under Demand No. 15 –Backward Sub-Plan

Veterinary Services & Animal Health	-	9221	9221
Capital Outlay	3300	-	3300
Grand Total Demand No -15	3300	9221	12521

xii) Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes.

At present the department is executing the following subsidy programmes:-

Livestock Insurance Scheme/Poultry Schemes/Feed and Fodder Scheme/Livestock Vaccination

1. Livestock Insurance Scheme for elite Milch Animals (only in District of Mandi & Kangra) is being implemented by the department since March, 2006. In this scheme, upto a maximum of two milch animals per beneficiary are covered under insurance for which Govt. of India Provides 50% subsidy on insurance premium for a period of three years comprehensive insurance.
2. 200 broiler chicks scheme:- Under this scheme Schedule Caste /Schedule Tribes families of Shimla District are covered upto a total annual income of Rs. 24000/-. In these scheme 200 broiler chicks along with feed, medicines, equipments etc. in two phases are provided with a maximum subsidy of Rs. 10000/- per beneficiary.
3. 100% transportation subsidy scheme is available on the cost of transportation of cattle feed in Tribal Areas of the State only.
4. Fodder Seed Mini Kits are being distributed under Demonstration Programme of Govt. of India (100% Subsidy).
5. Supply of Fodder Seed to Lady Farmers & Schedule Caste Farmers on 50% subsidy basis.
6. The department is also providing Free Vaccination of Foot & Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Black Quarter diseases (FMD, H.S. & B.Q.) in cattle & buffaloes, PPR, Entero Toxemia in Sheep & Goats and Ranikhet and Marek's Disease in Poultry Birds.
7. Doodh Ganga Yojna:- It is started by the NABARD. Under this Project improved breeds of milch animal will be supplied dairy farmers /Self help Groups to increase milk production in the State.Under this scheme 50% loan will be interest free and if beneficiary pay his installment of loan regularly there is further 50% rebate on the remaining 10% of total cost as margin money born by Self Help Group/individual farmers and 90% will be given as loan by the banks.This project has now been extended to entire state.

- xiii) **Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the Department.**
No permits and authorization are granted under any programme of the department. However the concessions in the shape of subsidy are being given by the department as depicted at point No.xii.
- xiv) **Details in respect of the information, available to or held by the Department reduced in an electronic form.**
The website of the department is being hosted by N.I.C.Shimla.AGRISNET scheme of Govt. of India C2G, G2G and G2C services will be launched shortly.
- xv) **Particulars of facilities available to citizens for obtaining information.**
Citizen Charter has already been prepared by the department and further circulated upto the Panchyat level-

नागरिक अधिकार पत्र

पशुधन सेवा—हमारा संकल्प

हमारा ध्येय

हिमाचल प्रदेश, पशु पालन विभाग प्रदेश के पशु पालकों के सर्वांगीण विकास हेतु पूर्णरूप से समर्पित है। पशु पालकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विभाग, पशुधन स्वास्थ्य, रोग-अन्वेषण, रोग उपचार, चारा विकास, प्रजनन व पशु विकास, वैज्ञानिक ढंग से पशुधन प्रवर्धन एवं लुप्त हो रही देसी नस्ल की प्रजातियों के संरक्षण आदि कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। पशुधन संवर्धन के माध्यम से प्रत्येक पशुपालक को स्वावलम्बी बनाने और वर्ष भर निरन्तर आय व पौष्टिक आहार की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है।

वर्ष 1948 में, जब हिमाचल प्रदेश बना, प्रदेश में केवल 9 पशु चिकित्सा संस्थान थे। आज विभाग कुल 2203 पशु संस्थानों के माध्यम से पशुधन के विकास हेतु सेवायें प्रदान कर रहा है।

पशुपालन विभाग का स्वरूप व गतिविधियां

<u>क्रम संख्या</u>	<u>संस्थान का नाम</u>	<u>संख्या</u>	<u>संक्षिप्त कार्य का विवरण</u>
<i>क: पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं</i>			
1	राज्य पशु चिकित्सालय	1	यह संस्थान राजधानी शिमला में स्थित है। इसमें उच्च स्तरीय नैदानिक व विशेषज्ञ सुविधायें उपलब्ध हैं। मुख्यतः छोटे पशुओं के ईलाज के अतिरिक्त उच्च स्तर की रोग अन्वेषण सेवायें प्रदान की जाती हैं।

2	पॉलीक्लीनिक	7	इन संस्थानों में पशु शल्य चिकित्सा, मैडीसीन, पैथोलोजिस्ट व गायनीकोलाजिस्ट की विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
3	उप मण्डलीय पशु चिकित्सालय	49	रोग उपचार, रोग निरोधन, कृत्रिम गर्भाधान तथा अपने उप- मण्डल में कार्यरत संस्थानों का निरीक्षण व नियंत्रण।
4	पशु चिकित्सालय	280	रोग उपचार, रोग निरोधन, कृत्रिम गर्भाधान, चारा विकास व विभाग द्वारा संचालित पशुधन विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
5	केन्द्रीय पशु औषधालय	30	रोग उपचार, रोग निरोधन, कृत्रिम गर्भाधान, चारा विकास व विभाग द्वारा संचालित पशुधन विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
6	पशु औषधालय	1764	प्राथमिक पशु उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, रोग निरोधन, बधियाकरण व पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में अन्य विभागीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
<i>पशु चिकित्सा संस्थानों की कार्य समयावधि</i>			
प्रत्येक कार्य दिवस: राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर 9:30 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न तक तथा 2:00 से 4:00 अपराह्न तक। आपातकालीन सेवायें हर समय उपलब्ध होती हैं।			

<i>ख: पशु प्रजनन कार्यक्रम</i>			
<u>क्रम संख्या</u>	<u>संस्थान का नाम</u>	<u>संख्या</u>	<u>संक्षिप्त कार्य का विवरण</u>
1	स्पर्म स्टेशन पालमपुर व अडुवाल (सोलन) (आई0 एस0 ओ0 प्रमाणित)	2	उच्च गुणवत्ता के सांडों के वीर्य तृणों का गुणवत्ता नियन्त्रयुक्त उत्पादन तथा

			तृणों एवं तरल नत्रजन की नियमित आपूर्ति विभिन्न पशु संस्थानों में सुनिश्चित करना।
2	वीर्य कोष चम्बा, सोलन (अडुवाल) ज्योरी, घणाहटी,पालमपुर,मण्डी तथा (ताल) हमीरपुर	7	ये संस्थान तरल नत्रजन व वीर्य तृणों की आपूर्ति विभिन्न पशु संस्थानों में सुनिश्चित करते हैं।
3	गोजातीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कोठीपुरा, पालमपुर व बागथन	3	प्रजनन कार्य हेतु वीर्य विधायन प्रयोगशालाओं को उत्तम सांडों की आपूर्ति करना, जर्सी व होलस्टीन गायों की प्रदेश की जलवायु के अनुरूप उत्पादन क्षमता का अध्ययन करना तथा पशुपालकों को उन्नत डेयरी पालन का प्रशिक्षण व प्रदर्शन प्रदान करना।
ग: रोग अन्वेषण सेवाएं			
1	रोगव्यापिकीविद प्रयोगशाला :: शिमला::	1	विभिन्न रोगों का सर्वेक्षण करना, मुंह खुर रोगों के नमूनों की जांच करना।
2	रोग अन्वेषण प्रयोगशाला :: शिमला व मण्डी	2	ये प्रयोगशालायें प्रदेश में पशु रोगों के निदान का कार्य आधुनिकतम तकनीकों द्वारा प्रदान कर रही है।
घ: भेड़ व खरगोश पालन			
1	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र/मेंढा केन्द्र ज्योरी, काकस्थल (किन्नौर), ताल (हमीरपुर) चम्बा व नगवाई (मण्डी)	5	मुख्य उद्देश्य उत्तम विदेशी नस्ल के मेंढों की प्रजनन हेतु आपूर्ति भेड़ पालकों को करना।
2	भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र	9	दूर दराज क्षेत्रों में भेड़ पालकों को प्रजनन हेतु उत्तम नस्ल के मेंढे उपलब्ध करवाना।
3	खरगोश प्रजनन प्रक्षेत्र व कंढवाड़ी (पालमपुर)	2	मुख्य उद्देश्य उत्तम अंगोरा नस्ल के खरगोशों का प्रजनन,

			खरगोश पालकों को प्रशिक्षण तथा उपलब्धता अनुसार उन्हें अंगोरा खरगोशों की आपूर्ति करना।
4	ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला :: ज्योरी, ताल (हमीरपुर) चम्बा ::	3	इन प्रयोगशालाओं में ऊन की गुणवत्ता के विश्लेषण हेतु सुविधा उपलब्ध है।
ड0: कुक्कुट पालन			
1	कुक्कुट प्रक्षेत्र :: सुन्दरनगर, नाहन, कमलाही (शिमला), जलग्रां (ऊना), पालमपुर	5	इन फार्मों में उच्चकोटि के ब्रायलर एवं एग्गर के पेरेंट स्टाक के अण्डों को हैच/पोषण कर कुक्कुट पालकों को एक से तीन सप्ताह के चूजों की आपूर्ति की जाती है तथा कुक्कुट पालकों को कुक्कुट सम्बन्धी व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
2	कुक्कुट विस्तार केन्द्र भवारना, पीओ, टापरी, चौतडा, मण्डी, पांवटा व सोलन व सरोल (चम्बा)।	8	इन संस्थानों में उच्च नस्ल के चूजों, ब्रायलर एवं एग्गर का पालन व वितरण किया जाता है।
च:	घोडा प्रजनन एवं याक प्रजनन प्रक्षेत्र लरी (स्पिति)	1	चामूर्थी नस्ल के घोडों तथा याकों का प्रजनन एवं संरक्षण करना।
छ	प्रशिक्षण केन्द्र चम्बा व बिलासपुर	2	इन केन्द्रों में पशुपालकों एवं विभागीय फार्मासिस्टों के लिए नवीनतम जानकारी व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

विभागीय शुल्क दरें:

पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान दरें निम्नलिखित हैं:-

1. पर्ची शुल्क: क: पशु – 25 पैसे प्रति पशु
ख: कुक्कुट – 25 पैसे प्रति 10 पक्षी
(उसके उपरांत 5 पैसे प्रति पक्षी)
2. बधियाकरण शुल्क: सांड – 50 पैसे प्रति
बकरा / मेंढा – 40 पैसे प्रति
घोड़ा – 10 रु० प्रति
कुत्ता – 5 रु० प्रति
3. कृत्रिम गर्भाधान शुल्क:
गाय/भैंस – 15 रु० प्रति गाय/भैंस (गरीबी रेखा से उपर परिवारों के लिए)
10 रु० प्रति गाय/भैंस (गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए)
4. आगमन शुल्क: (केवल पशु औषधियोजकों / पशुपालन सहायकों / मुख्य पशु औषधियोजकों के लिए)

पशुपालकों के घर-द्वार पर उपचार एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाने पर सरकार द्वारा निम्न आगमन शुल्क की दरें पशु औषधियोजकों / पशुपालन सहायकों के लिए निर्धारित की गई हैं:-

पशु चिकित्सा संस्थान से दूरी	पशु औषधियोजक	पशुपालन सहायक व मुख्य पशु औषधियोजक
(i) 3 कि०मी० तक	30 रु०	35 रु०
(ii) 3 कि०मी० से अधिक	35 रु०	40 रु०

टिप्पणी:- पशु चिकित्सा अधिकारियों को पशुपालकों द्वारा आगमन शुल्क देय नहीं है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस निषेध भत्ता (एन०पी०ए०) सरकार द्वारा दिया जाता है।

5. रोग-निरोधक टीकाकरण शुल्क

क्रम संख्या	रोग निरोधक टीके का नाम	शुल्क
1	मुंह व खुर	निःशुल्क
2	ए0आर0वी0 कुत्तों के बचाव के लिए	पूरी कीमत पर
3	गलघोटू	निःशुल्क
4	लंगडा बुखार	निःशुल्क
5	पी0पी0आर0 रोग	निःशुल्क

टिप्पणी:- पशुओं को पागल कुत्ते के काटने पर उपचार हेतु ए0आर0वी0 टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है।

केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं

पशुपालन विभाग (हि0प्र0) निम्न प्रायोजित परियोजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा

है:-

1. गाय व भैंस प्रजनन की राष्ट्रीय परियोजना

भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पोषित इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं का नस्ल सुधार करने हेतु पशुपालकों को उनके घर द्वार पर उत्तम गुणवत्ता की प्रजनन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक प्रजनन योग्य गाय/भैंसों को हिमिकृत वीर्य तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। जहां कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करवाना असम्भव है वहां प्राकृतिक गर्भाधान हेतु उत्तम नस्ल के सांड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

2. केन्द्रीय दुधारू पशु बीमा योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से जिला मण्डी व कांगडा के दुधारू पशुओं के बीमा करवाने हेतु आरम्भ की गई है तथा वर्ष 2008-09 से जिला हमीरपुर व शिमला भी इस योजना में सम्मिलित कर दिये गए हैं। इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं के बीमा प्रीमियम की राशी का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र वहन करती है तथा बाकि राशी पशु पालक द्वारा दी जाती है।

3. दूध गंगा योजना:- इस योजना के अन्तर्गत पशु पालकों/स्वयं सहायता समूहों को अच्छी नस्ल के दूधारू पशु पालने के लिए प्रोत्साहित करके अधिक दुग्ध उत्पादन द्वारा स्वरोजगार

सृजित करना है। इस परियोजना के अन्तर्गत ऋण की राशि 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त हैं। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले लाभान्वितों को बैंक द्वारा ऋण की शेष 50 प्रतिशत ब्याज की राशि पर भी 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं सहायता समूह/पशु पालक द्वारा स्वयं अंशदान के रूप में देय है व शेष 90 प्रतिशत बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है।

4 एकीकृत दुग्ध विकास परियोजनाएं

विभिन्न उत्तम पशु प्रबन्धन तकनीकों द्वारा अधिक दुग्ध उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन्नति लाने हेतु प्रदेश के पांच जिलों (सोलन, मण्डी, हमीरपुर, चम्बा एवं कांगडा) में यह परियोजनाएं विभाग द्वारा डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में 75 : 25 के अनुपात से केन्द्र सरकार पशु पालकों को अनुदान उपलब्ध करवा रही है।

5 एकीकृत ऊन सुधार परियोजना

भेड़ पालकों की गद्दी नस्ल के भेड़ों की नस्ल तथा ऊन में सुधार के लिए यह परियोजना प्रदेश के जिला चम्बा, कांगडा व कुल्लू में हिमाचल प्रदेश ऊन प्रसंघ के माध्यम से विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पोषित इस परियोजना में भेड़ पालकों को उत्तम नस्ल के मेंढे, आवश्यक दवाईयां तथा ऊन विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

6. केन्द्रीय भेड़ पालक बीमा योजना

इस योजना के अन्तर्गत भेड़ पालकों से 330/-रूपये की प्रीमियम राशी में से केवल 80/- रूपये लेकर प्राकृतिक तथा दुर्घटना कारणवश मृत्यु/विकलांगता के लिए बीमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त बीमाकृत भेड़ पालक के नौवीं से बाहरवीं तक की कक्षाओं में पढने वाले दो बच्चों को 100/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

7. राष्ट्रीय पशु प्लेग (महामारी) उन्मूलन परियोजना

केन्द्रीय प्रायोजित पशु प्लेग (महामारी) उन्मूलन परियोजना विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है!

8. पशु रोगों के नियन्त्रण के लिए प्रदेशों को सहायता योजना (एसकैड)

इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों (मुंह-खुर रोग, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, पी0पी0आर0 रोग, रेबीज आदि) के टीकाकरण, नियन्त्रण एवं निगरानी का कार्य पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है।

विस्तार सेवाएं

पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, पशुपालकों को पशुपालन सम्बन्धी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु प्रशिक्षण शिविरों, पशु-प्रदर्शनी और पशु-मेलों का आयोजन करता है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से पशुपालन सम्बन्धी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रक्षेत्रों में पशुपालकों को पशुपालन सम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

निदेशक, पशुपालन के नेतृत्व में संयुक्त निदेशकों, उप-निदेशकों व सहायक निदेशकों के माध्यम से विभागीय गतिविधियों/ योजनाओं का कार्यान्वयन, परिवीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है।

शिकायत सूचना प्रबन्धकीय प्रणाली (एम0 आई0 एस0)

पशु पालन विभाग की सेवायें पूर्णरूप से नागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप हो सकें तथा सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। इस हेतु पशु पालक अपने सुझावों/शिकायतों के लिए विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क करें -

1	उप-मण्डलीय स्तर पर	सम्बन्धित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी
2	जिला स्तर पर	सम्बन्धित जिले में कार्यरत उप-निदेशक (पशु स्वास्थ्य/ प्रजनन) तथा उप मण्डल पालमपुर, भरमौर, काजा तथा पांगी में कार्यरत सम्बन्धित सहायक निदेशक सम्पर्क करें।
3	मण्डल स्तर पर दक्षिणी क्षेत्र (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर)	संयुक्त निदेशक, एस0एल0बी0पी0, निदेशालय, पशु

बिलासपुर व ऊना जिले तथा स्पिति उप मण्डल) उत्तरी क्षेत्र (कांगडा,हमीरपुर,चम्बा,मण्डी,कुल्लु, लाहौल जिला तथा पांगी उप मण्डल)	पालन विभाग शिमला-171005,हि0 प्र0 फ़ैक्स/दूरभाष 0177- 2830163 संयुक्त निदेशक,पशु पालन पालमपुर । दूरभाष-01894-230529
4 निदेशालय स्तर पर	निदेशक,पशु पालन विभाग,हि0प्र0 दूरभाष/फ़ैक्स-0177-2830089/0177-2830167

विभिन्न स्तरों पर शिकायतों के निवारण हेतू निर्धारित अवधि इस प्रकार है :-

कार्यालय स्तर	शिकायत का प्रकार	शिकायत निवारण के लिए अधिकतम समय
प्रत्येक जिले में कार्यरत उप निदेशक,पशु स्वास्थ्य प्रजनन और पांगी भरमौर व काजा में कार्यरत सहायक निदेशक	1 दवाइयों की कमी 2 उपकरणों की कमी 3 बिमारियों की रोकथाम व नियन्त्रण उपाय 4 बिमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण 5 स्टाफ की अनुपस्थिति बारे 6 बीमार पशुओं के इलाज बारे 7 जिले में कृत्रिम गर्भाधान पदार्थों की अनोपलब्धता बारे 8 स्टाफ द्वारा अनुचित इलाज करने बारे 9 रिपीट ब्रिडीग समस्या बारे 10 मृत्यु एवं शव परीक्षण प्रमाण पत्र प्रदान न करने बारे 11 बीमा देय राशि सहायता न करना 12 स्टाफ द्वारा की जा रही अनियमितताओं बारे	एक सप्ताह एक माह दो दिन एक माह दो सप्ताह दो सप्ताह एक सप्ताह दो दिन एक माह एक सप्ताह एक माह

	<p>13 रिक्त स्थान पर स्टाफ उपलब्ध करवाने हेतु</p> <p>14 कैम्पो के आयोजन बारे</p> <p>15 चारा,बीज,जड़े,पौधों को उपलब्ध करवाने हेतु</p> <p>16 जंहा कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नहीं वंहा प्रजनन हेतु सांड एवं मेंडे उपलब्ध करवाने बारे</p> <p>17 कर्मचारियों की शिकायतें</p>	<p>एक माह</p> <p>एक माह</p> <p>एक माह</p> <p>एक माह</p> <p>एक माह</p>
संयुक्त निदेशक	<p>1 जिला स्तर पर उपरोक्त शिकायतों पर कार्यवाही न करने बारे</p> <p>2 महामारी के नियन्त्रण बारे शिकायतें</p> <p>3 मण्डल में विभिन्न बिमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण बारे</p> <p>4 मण्डल में कैम्पो के आयोजन हेतु टीमों का गठन करने बारे</p> <p>5 खाली पड़े पदों पर स्थानीय प्रबन्ध करने हेतु</p>	<p>दो सप्ताह</p> <p>दो दिन</p> <p>एक माह</p> <p>एक माह</p> <p>एक माह</p>
निदेशक	<p>1 शिकायतें जिनकी सुनवाई जिला व मण्डल स्तर पर नहीं हुई</p> <p>2 स्टाफ की रिक्तियों बारे</p> <p>3 फरनीचर,उपकरण,दवाईयों बारे</p> <p>4 स्टाफ के कारण उत्पन हुई समस्त शिकायतें</p> <p>5 स्टाफ की व्यथा</p>	<p>दो सप्ताह</p> <p>एक माह</p> <p>एक माह</p> <p>एक माह</p> <p>एक माह</p>

शिकायत निवारण हेतु प्रमुख अधिकारियों के पते व दूरभाष नम्बर

क्रम संख्या	पद	पता	दूरभाष न०	ई०मेल
1	निदेशक	पशुधन भवन, बालुगंज, शिमला-5	0177-2830089	dir-ah-hp@nic.in
2	संयुक्त निदेशक मुख्यालय	उपरोक्त	0177-2830167	Jdhqah-hp@yahoo.co.in
3	संयुक्त निदेशक एस०एल०बी०पी०	उपरोक्त	0177-2830163	
4	संयुक्त निदेशक पालमपुर	पालमपुर	01894-230529	
5	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला बिलासपुर	बिलासपुर	01978-222594	Ddahblp@yahoo.co.in
6	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला चम्बा	चम्बा	01899-222317	
7	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला हमीरपुर	हमीरपुर	01972-222476	ddah-hmr@yahoo.co.in
8	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला कांगडा	स्थित धर्मशाला	01892-222061	
9	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला किन्नौर	रिकांगपिओ	01786-222570	

10	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला कुल्लु	कुल्लु	01902-222553	
11	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला लाहोल स्पिति	केलांग	01900-222249	
12	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला मण्डी	मण्डी	01905-223077	
13	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला शिमला	पशुधन भवन, बालुगंज, शिमला-5	0177-2832156	
14	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला सिरमौर	नाहन	01702-222303	
15	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला सोलन	सोलन	01792-223593	
16	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला ऊना	ऊना	01975-226017	
17	सहायक निदेशक, भेड़ विकास	भरमौर	01895-225048	
18	सहायक निदेशक, पशु स्वास्थ्य / प्रजनन	पांगी	01897-222226	
19	सहायक निदेशक, पशु उत्पादन	पालमपुर	01894-230467	
20	सहायक निदेशक, पशु स्वास्थ्य / प्रजनन	काजा	01906-222272	

पशु पालन हैल्पलाइन :- निदेशालय स्तर पर स्थापित पशु पालन हैल्पलाइन -18001808006 (टोल फ्री) नम्बर पर भी पशु पालक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान कर सकते हैं।

RIGHT TO INFORMATION ACT-2005

INFORMATION

IN

RESPECT OF ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

UNDER SUB-CLAUSE(II)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT,2005.

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.

Details of Proposed PIO, APIOs and Appellate Authority: (as on 1.5.2009)

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
A) Name of Public Information Officer	Deputy Director (AP) Hqrs.	Directorate of Animal Husbandry, H.P., Shimla-5	2830594	dir-ah-hp@nic.in	Whole of the Department
B) Name of the Assistant Public Information Officer (APIO)	Assistant Director (Extn.) Hqrs	Directorate of Animal Husbandry, H.P., Shimla-5	2830163 (PP)	Jdhqah-hp@yahoo.co.in	In respect of Directorate

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
	SHIMLA				
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Shimla	2832156	-	Whole of the Shimla District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Shimla	2832156	-	At the District Headquarters Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital Shimla	2814803	-	Sub-Division, Shimla
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Theog	238226	-	Sub-Division, Theog
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Chopal	260047	-	Sub-Division, Chopal
	Vety. Officer	Vety. Hospital, Dodra Kwar	-	-	Sub-Division, Dodra Kwar
	Senior most Specialist in Veterinary Polyclinic Rampur	Veterinary Polyclinic Rampur	233088	-	Sub-Division, Rampur
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Rohru	240033	-	Sub-Division, Rohru
	BILASPUR				
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Bilaspur	222594	Ddahbpl@yahoo.co.in	Whole of the Bilaspur District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Bilaspur	222594	-	At the District Headquarters Level

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Bilaspur	222202	-	Sub-Division, Bilaspur
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Ghumarwin	255291	-	Sub-Division, Ghumarwin
CHAMBA					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Chamba	222317	-	Whole of the Chamba District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Chamba	222317	-	At the District Headquarter Level
	Assistant Director (Projects)	O/O Dy. Director (AH/B), Chamba	222317	-	Sub-Division, Chamba
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Dalhausie	242197	-	Sub-Division, Dalhausie
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Chowari	-	-	Sub-Division, Chowari
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Tissa	227533	-	Sub-Division, Tissa
	Vety. Officer	Vety. Hospital, Salooni	-	-	Sub-Division, Salooni
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Bharmour	-	-	Sub-Division, Bharmour
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Killar	-	-	Sub-Division, Pangi
HAMIRPUR					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Hamirpur	222476	ddah-hmr@yahoo.co.in	Whole of the Hamirpur District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B),	222476	-	At the District Headquarter Level

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
		Hamirpur			
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Hamirpur	222304	-	Sub-Division, Hamirpur
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Barsar	288077	-	Sub-Division, Barsar
	Sr. Vety. Officer	Sud-Divisional Vety. Hospital, Nadaun	01972 232321	-	Sub-Division, Nadaun
	Sr. Vety. Officer	Sud-Divisional Vety. Hospital, Bhoranj	01972 204311	-	Sub-Division, Bhoranj
	KANGRA				
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Kangra	222061	-	Whole of the Kangra District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Kangra at Dharamshala	222061	-	At the District Headquarter Level
	Assistant Director	Vety. Hospital, Nurpur	01893 220059	-	Sub-Division, Nurpur
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Dharamshala	222012	-	Sub-Division, Dharamshala
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Kangra	265095	-	Sub-Division, Kangra
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Dehra Gopipur	233196	-	Sub-Division, Dehra

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
	Sr.Vety. Officer	Vety. Hospital, Jawali	01893 262258	-	Sub-Division, Jawali
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Palampur	230129	-	Sub-Division, Palampur
	Sr.Vety. Officer	Vety. Hospital Paprola	243675	-	Sub-Division Baijnath (Paprola)
	Vety. Officer	Vety. Hospital, Lamba Gaon	-	-	Sub-Division, Jaisingpur (Lamba Gaon)
KINNAUR					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Kinnaur	222729	-	Whole of the Kinnaur District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), R. Peo (Kinnaur)	222729	-	At the District Headquarter Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Nichar	252264	-	Sub-Division, Nichar
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Pooh	232323	-	Sub-Division, Pooh
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital Peo	222729	-	Sub-Division Peo
KULLU					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Kullu	222553	-	Whole of the Kullu District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Kullu	222553	-	At the District Headquarter Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Kullu	223833	-	Sub-Division, Kullu
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Ani	253992	-	Sub-Division, Ani
	Sr.Vety. Officer	Vety. Hospital,	01902 252380	-	Sub-Division, Manali

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
		Manali			
	Vety. Officer	Vety. Hospital, Banjar	-	-	Sub-Division, Banjar
LAHAUL & SPITI					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Keylong	222249	-	Whole of the Kullu District
	Assistant Director(AH/B)	Assistant Director(AH/B), Kaza (Spiti)	222272	-	Sub-Division, Kaza (Hqrs.)
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Keylong	222249 (PP)	-	Sub-Division, Keylong
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Udaipur	-	-	Sub-Division, Udaipur
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Kaza	-	-	Sub-Division, Kaza
MANDI					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Mandi	223077	-	Whole of the Mandi District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Mandi	223077	-	At the District Headquarter Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Mandi	224348	-	Sub-Division, Mandi
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Karsog	-	-	Sub-Division, Karsog
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Gohar	250272	-	Sub-Division, Gohar
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Sarkaghat	230040	-	Sub-Division, Sarkaghat
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital,	222025	-	Sub-Division, Joginder

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
		Joginder Nagar			Nagar
	Assistant Director	Vety. Hospital, Sunder Nagar	267685	-	Sub-Division, Sunder Nagar
SIRMAUR					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Sirmaur	222303	-	Whole of the Sirmaur District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Sirmaur	222303	-	At the District Headquarter Level
	Assistant Director (Projects)	O/O Dy. Director (AH/B), Sirmaur-Nahan	222256	-	Sub-Division, Nahan
	Assistant Director	Vety. Hospital, Paonta	222386	-	Sub-Division, Paonta
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Rajgarh	221135	-	Sub-Division, Rajgarh
SOLAN					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Solan	223593	-	Whole of the Solan District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Solan	223593	-	At the District Headquarter Level
	Assistant Director (Projects)	Vety. Hospital, Solan	223593	-	Sub-Division, Solan
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Kandaghat	256250	-	Sub-Division, Kandaghat
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Nalagarh	222611	-	Sub-Division, Nalagarh
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital,	220543	-	Sub-Division, Arki

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
		Arki			
UNA					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Una	226017	-	Whole of the Una District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Una	226017	-	At the District Headquarter Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Una	228286	-	Sub-Division, Una
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Amb	261686	-	Sub-Division, Amb
C) Name of the Appellate Authority	Director Animal Husbandry, H.P.	Directorate of Animal Husbandry, H.P., Pashudhan Bhavan, Shimla-5 Boileauganj,	2830089	Dir-ahhp@nic.in	Whole of the

Annual Report in pursuance of section 4 (1)(b) of the Right to Information Act:-

1. In all 125 requests under RTI Act, 2005 for the period from 1-4-10 to 31-3-11 (BPL families –, Non BPL families-125). Total 125 received in the Deptt. Which have been disposed off. An amount of Rs.3219/- (Rupees three thousand two hundred nineteen only) has been collected by the Deptt.
2. 2 appeal was filed with appellate authority. Which have been disposed off.
- 3 No appeal / complaint was made with the State Chief Commissioner pertaining to the Department of Animal Husbandry Himachal Pradesh during the year 2010-11.

GN-II

DRAFT ANNUAL PLAN (2011-2012)
DEMAND NO./HEAD OF ACCOUNT/HEAD OF DEVELOPMENT -WISE OUTLAY AND EXPENDITURE

(` in lakh)

Sr.No.	Demand No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Cpde	Sec./Head of Dev. Scheme	Eleventh Plan (2007-2012) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2009-2010) Actual Expenditure	Annual Plan (2010-11)		Annual Plan (2011-12) Proposed Outlay
						Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

DEMAND NO. 14-ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRY DEVELOPMENT.

	14	2403-00-001	Direction and Administration	110.00	7.94	8.00	11.50	10.00
	14	2403-00-001-01-SOON	Head quarter establishment	60.00	5.94	6.00	10.50	9.00
	14	2403-00-001-02-SOON	Exp. on Regional Establishment	50.00	2.00	2.00	1.00	1.00
	14	2403-00-101	Veterinay Services and Animal Health	1725.00	29.99	35.00	94.62	85.00
	14	2403-00-101-01-SOON	Exp. on Hospitals and Dispensaries	1600.00	0.00	1.00	51.00	51.00
	14	2403-00-101-10-S25N	Assistance to control of Animal Disease.	125.00	29.99	34.00	43.62	34.00
	14	2403-00-102	Cattle and Buffalo Development	993.00	77.98	153.00	144.50	64.50
	14	2403-00-102-02-SOON	Cattle Breeding Farm Schemes.	113.19	7.98	8.00	8.00	6.00
	14	2403-00-102-06-SOON	Establishment of Semen Laboratories.	200.00	35.00	35.00	26.50	20.00
	14	2403-00-102-14-SOON	Registration of Cattle.	679.81	0.00	10.00	10.00	5.00
	14	2403-00-102-15-SOON	Exp. on Animal Welfare Board.	0.00	35.00	100.00	100.00	33.50

Sr.No.	Demand No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Cpde	Sec./Head of Dev. Scheme	Eleventh Plan (2007-2012) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2009-2010) Actual Expenditure	Annual Plan (2010-11)		Annual Plan (2011-12) Proposed Outlay
						Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14	2403-00-103	Poultry Development,	150.00	4.49	11.50	6.88	7.00
	14	2403-00-103-02-SOON	Central and District Poultry Farms.	149.95	4.49	11.49	6.87	6.99
	14	2403-00-103-08-S20N	Development of Backyard Poultry Farming.	0.05	0.00	0.01	0.01	0.01
	14	2403-00-104	Sheep and Wool Development.	250.00	27.99	21.00	21.00	25.00
	14	2403-00-104-04-SOON	Exp. on Existing sheep Breeding Farm centres	250.00	27.99	21.00	21.00	25.00
	14	2403-00-106	Other Livestock Development.	40.00	5.00	4.50	4.50	4.00
	14	2403-00-106-01-SOON	Horse and Mule Breeding Scheme.	15.00	2.50	2.50	2.50	2.50
	14	2403-00-106-02-SOON	Rabbit Breeding Scheme	25.00	2.50	2.00	2.00	1.50
	14	2403-00-107	Fodder and Feed Development.	90.00	6.49	6.50	6.50	7.50
	14	2403-00-107-01-SOON	Development of Fodder & Feed	90.00	6.49	6.50	6.50	7.50
	14	2403-00-109	Extension and Training	50.00	5.00	5.00	5.00	10.00
	14	2403-00-109-02-S50N	GIA to Veterinary Council.	50.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	14	2403-00-109-03-SOON	GIA to Para Veterinary Council.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	14	2403-00-113	Administration investigation and Statistics.	140.00	34.97	40.00	40.00	36.00

Sr.No.	Demand No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Cpde	Sec./Head of Dev. Scheme	Eleventh Plan (2007-2012) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2009-2010) Actual Expenditure	Annual Plan (2010-11)		Annual Plan (2011-12) Proposed Outlay
						Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14	2403-00-113-01-S50N	Statistical Unit.	140.00	34.97	40.00	40.00	36.00
	14	2403-00-800-01-SOONA-	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)	0.00	512.90	211.00	845.85	771.00
	14	2403-00-800--01-SOONA-	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)	0.00	512.90	211.00	845.85	771.00
	14	4403-00-101	Capital Outlay on Animal Husbandry.	550.00	600.00	467.50	467.50	196.00
	14	4403-00-101-01-SOON	Buildings	550.00	600.00	467.50	467.50	196.00
Total General Plan				4098.00	1312.75	963.00	1647.85	1216.00
DEMAND NO. 15-BACKWARD AREA SUB-PLAN.								
	15	2403-00-101-01-SOOB	Hospitals and Dispensaries.	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	4403-00-101	Capital Outlay on Animal Husbandry.	170.50	28.06	33.00	33.00	10.00
	15	4403-00-101-01-SOOB	Buildings	170.50	28.06	33.00	33.00	10.00
Total Backward Area Sub- Plan				525.00	28.06	33.00	33.00	10.00
DEMAND NO. 31-TRIBAL AREA SUB-PLAN.								
	31	2403-00-796-01-SOON	Exp. on District Administration,	170.00	15.95	17.60	13.15	16.40
	31	2403-00-796-02-SOON	Exp. on Hospitals and Dispensaries.	1905.00	192.17	203.38	201.25	194.87
	31	2403-00-796-03-SOON	Exp. on Poultry Development.	30.00	2.51	3.00	3.00	3.00

Sr.No.	Demand No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Cpde	Sec./Head of Dev. Scheme	Eleventh Plan (2007-2012) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2009-2010) Actual Expenditure	Annual Plan (2010-11)		Annual Plan (2011-12) Proposed Outlay
						Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	31	2403-00-796-04-SOON	Exp. on Sheep and Wool Development.	151.00	49.10	45.17	43.77	47.50
	31	2403-00-796-05-AOOS	Exp. on Vety. Prog. (under Special Central Assistance)	375.00	124.64	111.05	107.28	123.20
	31	2403-00-796-07-AOOS	Exp. on Vety. Programme under SCA for STs residing out side Tribal Area.	148.00	47.51	58.00	58.00	59.55
	31	4403-00-796-01-AOOS	Exp. on VD Building in non Tribal Area.	0.00	8.00	6.00	6.00	4.00
	31	2403-00-796-08-AOOS	Exp. on Vety. Prog.under SCA for Tribal Pockets (Chamba and Bhatiyat)	30.00	9.47	10.90	10.90	12.00
	31	2403-00-796-800-01-SOONA	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY).	0.00	0.00	40.00	126.20	117.00
	31	4403-00-796-01-SOON-	Building Programme.	200.00	91.97	74.90	74.90	86.48
Total Tribal Area Sub- Plan				3009.00	541.32	570.00	644.45	664.00
DEMAND NO. 32-SCHEDULED CASTE SUB-PLAN.								
	32	2403-00-789-02-SOOS	Vety. Services and Animal Health Hospitals & Disp.	1500.00	206.32	203.00	203.00	203.00
	32	2403-00-789-03SOOS	Cattle and Buffalo Development	0.00	2.86	3.00	3.00	3.00
	32	2403-00-789-04-SOOS	Establishment of Semen Laboratories.	100.00	14.58	15.00	15.00	15.00

Sr.No.	Demand No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Cpde	Sec./Head of Dev. Scheme	Eleventh Plan (2007-2012) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2009-2010) Actual Expenditure	Annual Plan (2010-11)		Annual Plan (2011-12) Proposed Outlay
						Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	32	2403-00-789-05-SOOS	Central and District Poultry Farms.	200.00	13.34	10.00	10.00	10.00
	32	2403-00-789-05-AOOS	Central and District Poultry Farms.	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	32	2403-00-789-06-SOOS	Sheep Breeding Farm Centres.	100.00	16.13	18.00	18.00	18.00
	32	2403-00-789-07-SOOS	Feed and Fodder Development.	100.00	15.66	17.00	17.00	17.00
	32	2403-00-789-800-01-SOONA	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)	0.00	0.00	78.00	314.77	288.00
	32	4403-00-789-02-SOOS	Building (Veterinary Services & Animal Health).	400.00	131.99	56.00	56.00	74.00
Total Scheduled Caste Sub- Plan				2400.00	435.88	435.00	671.77	663.00
GRAND TOTAL 0103-ANIMAL HUSBANDRY				10032.00	2318.01	2001.00	2997.07	2553.00
0104-DAIRY DEVELOPMENT								
	14	2404-00-001-01-SOON	Headquarter Establishment.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	2404-00-109-01-SOON	Dairy Development Training Centre.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	2404-00-191-02-SOON	GIA to H.P. Milkfedreration.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sr.No.	Demand No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Cpde	Sec./Head of Dev. Scheme	Eleventh Plan (2007-2012) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2009-2010) Actual Expenditure	Annual Plan (2010-11)		Annual Plan (2011-12) Proposed Outlay
						Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total demand No.14-0104-Dairy Development.				368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0104-DAIRY DEVELOPMENT								
	32	2404-00-191-02-SOOS	GIA to H.P. Milkfedreration.	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Total demand No.32-0104-Dairy Development.				150.00	50.00	50.00	50.00	50.00
GRAND TOTAL 0104-DAIRY DEVELOPMENT.				518.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0107-AGRICULTURE RESEARCH AND EDUCATION								
	14	2415-03-004-01-SOON	GIA to H. P. Agriculture University.	5053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total demand No.14-Agriculture Reseach & Education.				5053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0107-AGRICULTURE RESEARCH AND EDUCATION								
	31	2415-01-796-04-SOON	GIA tio H. P. Agriculture University.	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
GRAND TOTAL 0107-AGRICULTURE RESEARCH AND EDUCATION.				5133.00	20.00	20.00	20.00	20.00